



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 524 राँची, बुधवार,

21 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2020

संख्या-13/ वरीय स्था० पद०-03/2013 का० 4823-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री दीपक नाथ तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले आदेश तक निदेशक, न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के शासी निकाय को सौंपी जाती है।

संख्या-13/ वरीय स्था० पद० 03/2013 का० 4824-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर की शक्तियाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अगले आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है।

संख्या-13/ वरीय स्था० पद०-03/2013 का० 4825-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पाकुड़ की शक्तियाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ को अगले आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है।

संख्या-13/ वरीय स्था० पद०-03/2013 का० 4826-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरायकेला की शक्तियाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावाँ को अगले आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।
